**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्य सभा**

तारांकित प्रश्न संख्याः 350

उत्तर देने की तारीखः 25.07.2019

**सकल नामांकन अनुपात**

**\*350. श्री संजय सिंहः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान ‘सकल नामांकन अनुपात’ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान इसमें कोई परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ‘सकल नामांकन अनुपात’ में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**\*\*\*\*\***

**“सकल नामांकन अनुपात’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 25.07.2019 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 350 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (ग):  देश में वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) निम्नानुसार है:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **प्रारंभिक****(I-VIII)** | **माध्‍यमिक****(IX-X)** | **उच्‍च माध्‍यमिक****(XI-XII)** | **उच्‍चतर शिक्षा** |
| 2016-17 | 93.55 | 79.35 | 55.40 | 25.2 |
| 2017-18 | 92.98 | 79.28 | 56.46 | 25.8 |
| 2018-19 |  |  |  | 26.3 |

 2018-19 के आंकड़े अनंतिम है।

सरकार ने जीईआर बढ़ाने के लिए निम्‍नलिखित उपाय किए हैं:

(i) नि:शुल्‍क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी है। इस अधिनियम में 6-14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्‍चों को प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार दिया है। इस अधिनियम की धारा 6 में यह प्रावधान है कि 6-14 वर्ष के प्रत्‍येक बच्‍चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक पड़ोस के स्‍कूल में नि:शुल्‍क और अनिवार्य शिक्षा लेने का अधिकार होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में उपयुक्‍त सरकार को इसके लिए बाध्‍य किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि कमजोर वर्गों अथवा वंचित समूहों के किसी भी बच्‍चे के साथ प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण एवं पूरी करने के संबंध में किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए और उसे रोका न जाए।

(ii) वर्ष 2018-19 से केंद्रीय प्रायोजित योजना स्‍कूल शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा शुरू की गई है जिसमें तीन तत्कालीन केन्‍द्र प्रायोजित योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक-शिक्षा (टीई) शामिल हैं। इस योजना के तहत, राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को वरिष्‍ठ माध्‍यमिक स्‍तर तक के नए विद्यालय खोलने/उनका उन्‍नयन करने, मौजूदा स्‍कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्‍थापना करने और उनका संचालन करने, आवासीय स्‍कूलों/छात्रावासों की स्‍थापना करने, नि:शुल्‍क वर्दियों, नि:शुल्‍क पाठ्य-पुस्‍तकों, नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाने सहित नामांकन में वृद्धि करने के लिए विभिन्‍न गतिविधि‍यों के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, स्‍कूल न जाने वाले बच्‍चों को औपचारिक स्‍कूली शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए आयु के मुताबिक प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्‍चों का आवासीय एवं गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावासों/आवासीय शिवि‍रों, कार्य स्‍थलों पर विशेष प्रशिक्षण, परिवहन/एस्‍कार्ट सुविधाओं के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, शिक्षा के प्रारंभिक स्‍तर पर छात्रों को मध्‍याह्न भोजन दिया जाता है।

(iii) राज्‍य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यनीतिक निधियन और सुधार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) की केंद्रीकृत प्रायोजित योजना के माध्यम से शुरू किए जाते हैं।

(iv) इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा वित्‍त एजेंसी (हेफा) स्थापित की गई है, जिससे शिक्षा की सर्वोत्तम संस्थाओं में अवसंरचना सुधार के लिए बाजार से निधियां प्राप्‍त की जा सकें।

(v) 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राज्यों को अधिक निधियों के अंतरण के साथ, राज्य शिक्षा क्षेत्र के लिए निधियों के आवंटन को प्राथमिकता दे सकते हैं।

(vi) इसी के साथ,  उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें मुक्त और दूरस्थ अधिगम के लिए नए यूजीसी नियम जारी करना,  जिससे दूरस्थ मोड पर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लिया जा सकता है, लोगों तक पहुंच बनाने और उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए आईसीटी प्रौद्योगिकी-स्वयम पोर्टल का उपयोग करना और अधिक केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान खोलने शामिल है।

**\*\*\*\*\***